न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–312/2010
सी0आई0एस0 संख्या–2807/2015
निर्णय दिनांक– 22.07.2026

परिशिष्ट–ए

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–I, दानापुर। **उपस्थितः– श्री कुमार गुंजन** **अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,** **दानापुर।** **सत्र वाद संख्या–312/2010** **सी0आई0एस0 संख्या–2807/2015** **बिहटा थाना काण्ड संख्याः–37/2008** **राज्य बनाम प्यारे ठाकुर**	
सूचिक	डोमनी देवी, पिता–स्व0 जयगोविन्द सत्य, साकिन–बिहटा स्टेशन रोड़ में लिट्टी चाय का दुकान, थाना–बिहटा, जिला–पटना।
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री रामकेश्वर प्रसाद
अभियुक्त	1. बुद्धि देवी उर्फ विधि कुमार 2. किरण देवी 3. रेखा कुमारी (उपरोक्त तीनों पिता प्यारे ठाकुर, सा0–पैनाल, थाना–बिहटा, जिला–पटना)
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता	श्री विश्वनाथ सिंह आजाद

परिशिष्ट–बी

अपराध की तिथि	13.02.2008
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	13.02.2008
आरोप पत्र समर्पित करने की तिथि	13.05.2008
संज्ञान की तिथि	लागू नहीं
आरोप गठन की तिथि	16.11.2012
साक्ष्य आरम्भ होने की तिथि	04.03.2015
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	लागू नहीं
निर्णय की तिथि	22.07.2026
दण्ड सुनाने की तिथि यदि कोई हो	लागू नहीं

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–312 / 2010
सी0आई0एस0 संख्या–2807 / 2015
निर्णय दिनांक– 22.07.2026

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / आत्मसमर्पण की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्ध	दिया गया दण्ड	धारा–428 दं0 प्र0 सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के क्रम में दिया गया दण्ड
1.	बुद्धि देवी उर्फ विधि कुमारी	12.09.2024	12.09.2024	धारा– 447, 341, 323, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	किरण देवी	12.09.2024	12.09.2024	धारा– 447, 341, 323, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	रेखा कुमारी	12.09.2024	12.09.2024	धारा– 447, 341, 323, 504, 307 / 34 भा0दं0वि0	**दोषमुक्त**	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट–सी

अभियोजन / प्रतिरक्षा पक्ष / न्यायालय के साक्षियों की सूची

अ–अभियोजन साक्ष्य

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
1.	डोमनी देवी	सूचिका

ब–प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी, यदि हो तोः–

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–312/2010
सी0आई0एस0 संख्या–2807/2015
निर्णय दिनांक– 22.07.2026

कुछ नहीं	कोई नहीं	लागू नही

स–न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो:–

क्रमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
कुछ नहीं	कोई नहीं	लागू नहीं

अभियोजन पक्ष/प्रतिरक्षा पक्ष/न्यायालय प्रदर्श:–

अ–अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	कोई नहीं	लागू नहीं

ब–प्रतिरक्षा पक्ष के प्रदर्श यदि हो तो:–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	लागू नहीं	लागू नहीं
2.	लागू नहीं	लागू नहीं

स–न्यायालय प्रदर्श यदि हो तो:–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रतिरक्षा प्रदर्श	कुछ नहीं

डी–वस्तु प्रदर्श यदि हो तो:–

क्रमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	लागू नहीं	कुछ नहीं

4

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–312/2010
सी0आई0एस0 संख्या–2807/2015
निर्णय दिनांक– 22.07.2026

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण बुद्धि देवी उर्फ विधि कुमारी, किरण देवी, रेखा कुमारी के विरूद्ध **भा0दं0वि0 की धारा– 447, 341, 323, 504, 307/34** के अंतर्गत आरोपों का निर्धारण कर विचारण किया गया है। प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण बुद्धि देवी उर्फ विधि कुमारी, किरण देवी, रेखा कुमारी के विरूद्ध वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी है।

2. इस वाद में सूचिका डोमनी देवी का फर्द बयान, जो कि दिनांक 13.02.2008 को लगभग सांय 4:00 बजे उसकी पुत्री रेखा देवी ने मोबाइल फोन पर सूचना दी कि प्यारे ठाकुर की तीनों बेटियों ने घर पर चढ़कर उसके साथ मारपीट की है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वह लगभग सांय 5:00 बजे अपने घर पहुंची। अपनी पुत्री से घटना की जानकारी लेने के पश्चात् जब वह प्यारे ठाकुर से पूछताछ करने गई, तब वह उल्टे गाली–गलौज करने लगा। जब उसने गाली देने से मना किया, तब प्यारे ठाकुर अपने घर से लोहे का रॉड़ लेकर आया और उसके सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे उसका सिर फट गया। इसी दौरान रेखा कुमारी, बुद्दी देवी, किरण कुमारी एवं प्यारे ठाकुर सहित अन्य लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सिर सहित पूरे शरीर पर चोटें आईं। जब उसकी पुत्रियां रेखा देवी एवं रूबी देवी बीच–बचाव करने आई, तब अभियुक्तों ने उनके साथ भी लात–घूंसों एवं लोहे के रॉड़ से मारपीट कर उनके पूरे शरीर पर चोटें पहुंचाई। घटना के दौरान काफी हो–हल्ला होने तथा आसपास के अनेक लोगों के एकत्रित हो जाने के कारण उसकी जान बच सकी। घटना के संबंध में उपस्थित लोगों से पूछने पर उन्होंने बताया कि पुरानी दुश्मनी के कारण उसकी अनुपस्थिति में अभियुक्तगण उसके घर पर आकर झगड़ा एवं मारपीट कर रहे थे।

3. प्रस्तुत वाद में सूचक के फर्दबयान के आधार पर बिहटा थाना कांड संख्या–37/2008 अंतर्गत भा0दं0वि0 की धारा– 447, 341, 323, 504, 307/34 के अंतर्गत पंजीकृत कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाये जाने पर धारा भा0दं0वि0 की धारा– 447, 341, 323, 504,

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–312/2010
सी0आई0एस0 संख्या–2807/2015
निर्णय दिनांक– 22.07.2026

307/34 के अन्तर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। तदुपरांत, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के द्वारा आरोप पत्रित अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा– 447, 341, 323, 504, 307/34 के अन्तर्गत संज्ञान लिया गया है। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, दानापुर के द्वारा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विचारण हेतु माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दौरा सुपुर्द किया गया है। स्थानांतरण के पश्चात् विभिन्न न्यायालयों से होते हुए निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तगण का बयान धारा–313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान अभिलिखित किया गया, जिससे अभियुक्तों ने घटना कारित करने से इनकार किये तथा बचाव में अपने को निर्दोष बताया।

5. प्रस्तुत विचारण में मुख्य प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया है?

मन्तव्य

6. इस वाद में लगभग 18 वर्ष का समय दिए जाने एवं गवाहों की उपस्थिति हेतु न्यायालय से सभी वांछित प्रक्रिया पूरी करने के बावजूद अभियोजन के द्वारा केवल एक गवाह की गवाही कराई गई है। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत किए गए एकमात्र साक्षी डोमनी देवी ने हालांकि अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 13–14 वर्ष पूर्व संध्या 4 बजे के आस–पास इनकी पुत्री रेखा देवी का झगड़ा अभियुक्तों के साथ हुआ था, जिस वजह से अभियुकतगण ने इनकी पुत्री के साथ मारपीट किया था। जब साक्षी डोमनी देवी अभियुक्तों से पूछने गई तो सभी अभियुक्तों ने मिलकर डंडा से इनके सर पर मारपीट किया, जिस वजह से इनका सर फट गया। परंतु ठीक इसके विपरीत अपने प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने अभियुक्तों के साथ सुलह हो जाने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि बच्चों की वजह से झगड़ा हुआ था एंव इन्होंने संदेह के आधार पर अभियुक्तों का नाम इस वाद में दे दिया था, जबकि इस साक्षी ने किसी को भी मारपीट करते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार से इस साक्षी के साक्ष्य में महत्वपूर्ण तथ्यों पर काफी विरोधाभास है जिस कारण इनके साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश अभियोजन के द्वारा कोई और साक्ष्य इस वाद में प्रस्तुत नहीं

न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, दानापुर

सत्र वाद संख्या–312/2010
सी0आई0एस0 संख्या–2807/2015
निर्णय दिनांक– 22.07.2026

किया गया है, ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त तथ्यों के आलोक में साक्षी का साक्ष्य मूल्यहीन हो जाता है। कोई अन्य साक्ष्य या साक्षी अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है।

7. उपरोक्त वर्णित तथ्यों के विश्लेषण से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि अभियुक्तगण बुद्धि देवी उर्फ विधि कुमारी, किरण देवी, रेखा कुमारी के विरूद्ध भा0दं0वि0 की धारा– 447, 341, 323, 504, 307/34 के आरोपों को युक्तियुक्त संदेहों से परे साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

8. अतः अभियुक्तगण **बुद्धि देवी उर्फ विधि कुमारी, किरण देवी, रेखा कुमारी** को भा0दं0वि0 की धारा– 447, 341, 323, 504, 307/34 के आरोपों से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण को व्यक्तिगत बंधपत्र से एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित, शुद्धिकृत,

sd/-

(श्री कुमार गुंजन),
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
दानापुर ।
दिनांक 22 जुलाई, 2026.

लेखापित, शुद्धिकृत,

sd/-

(श्री कुमार गुंजन),
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
दानापुर।
दिनांक 22 जुलाई, 2026.